संख्या-2440/2023/नौ-8-23/(002)/002/8/2022

प्रेषक,

डा. राजेन्द्र पैंसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक: 07 दिसम्बर,2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के मध्य पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत नगर पंचायतों को पूर्व में अवस्थापना सविधाओं के विकास हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के मध्य नगर पंचायतों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पं0 दीनदयालय उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा विभिन्न नगर पंचायतों द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना के आधार पर संबंधित कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उनके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में पूर्व में धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष 03 नागर निकायों द्वारा पं0 दीनदयालय उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: पं0 दीनदयालय उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के मध्य जारी किये गये शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 नागर निकायों को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि चालू कार्यों हेतु (कुल धनराशि रू0 5,70,00,000) (रूपये पॉच करोड़ सत्तर लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	निकाय का नाम	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (लाख में)	प्रथम किश्त की पूर्व निर्गत धनराशि (लाख में)	द्वितीय किश्त की देय धनराशि (लाख में)
1	नगर पंचायत अदरी, जनपद मऊ	585/नौ-8-19-09डी०डी०यू० (बजट) / 2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019	300.00	150.00	150.00
2	नगर पंचायत ऊँचाहार जनपद रायबरेली	2590/नौ-8-21-07डीडीयू (बजट)/2021 दिनांक 27 दिसम्बर, 2021	300.00	30.00	270.00
3	नगर पंचायत दुद्धि जनपद सोनभद्र	32/2023/2022/001-04 डी०डी०यू० दिनांक 23 फरवरी, 2023	300.00	150.00	150.00
		कुल योग:-	900.00	330.00	570.00

(रूपये पॉच करोड़ सत्तर लाख मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

(1) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि संबंधित नगर निकायों के द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे 07 दिन के अन्दर ई-पेमेण्ट के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।

(2) निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जायेगी। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि का 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिये धनराशि पुन: कोषागार में दी जाय।

(3) संबंधित नागर निकायों को अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31-3-2024 तक के लिए निर्धारित है। अत: उक्त अवधि में द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र फोटोग्राफ सहित निदेशक, स्थानीय निकाय एवं महालेखाकार कार्यालय के साथ ही शासन को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) संबंधित नागर निकायों को पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति से संबंधित स्तम्भ 3 में उल्लिखित शासनादेश की शर्तें यथावत् रहेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 5,70,00,000 (रूपये पाँच करोड़ सत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 लेखाशीर्षक 2217031930500 पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च,2023 में प्रशासकीय विभागों को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा. राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव ।

संख्या-2440 (1)/2023/9-8-23/002/002/8/2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(डा. राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव ।

Digitally Signed by
डॉ.राजेंद्र
Date: 07-12-2023 15:31:10
Reason: Approved